

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
रिलायन्स कामर्शियल फाईनेन्स लि. बनाम कुलदीप व्यास
प्रकरण संख्या 40 /2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन कर नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>Note Press Mahesh Sharma जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (महेश शर्मा 2024)</p>